बइजलास रमेश देव, आर.ए.एस. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा,

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 207/2018 आदेश दिनांक 10.10.2019

1. बालीदेवी पत्नी हरचन्दराम 2. रणजीत 3. बाबूलाल 4. लिछमा 5. हस्तु पिसरान हरचन्दराम जाति बिश्नाई निवासीगण सुलण्डिया तहसील नोखा

........प्रार्थीगण

बनाम

1 मोहनराम पुत्र गोरधनराम 2. डुंगरराम पुत्र मोहनराम जाति बिश्नोई निवासीगण सलुण्डिया तहसील नोखा 3 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार, नोखा

........अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री लक्ष्मीनारायण सियाग अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री अनुपसिंह राठौड़ अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से ।
3. अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही।
4. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से।

<u>राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 "ए" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 715 तादादी 5.75 हैक्टेयर वाके रोही सलुण्डिया तहसील नोखा स्थित है। अप्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 716 तादादी 6.95 हैक्टेटयर वाके राही सुलण्डिया तहसील नोखा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 715 में आवाजाही का कोई मार्ग नहीं है। विभाजन समय रेल्वे मार्ग के पास अस्थायी मार्ग पर अण्डर ब्रिज हो जाने से प्रार्थीगण के खेत तक अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 716 के पूर्व तरफ से उचित है जिसके एवज में प्रार्थीगण मार्ग कटाण हेतु भूमि मुल्य या एवज में भूमि अप्राथीगण को देने को तैयार है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 715 तक अन्य कोई मार्ग नहीं है। यह कि खसरा नम्बर 443 के उत्तरी हिस्सा प्रार्थीगण के बंट में होने से खसरा नम्बर 443 के दक्षिण मध्य तक कटाणी रास्ता में खसरा नं. 443 के उत्तर पासा प्रार्थीगण खेत तक मार्ग वांछतीय है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्योनुसार प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 715 में अप्राथीगण के खसरा नम्बर 716 के पूर्व तरफ से व प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 443 के उत्तरी पासा में 443 के दक्षिण मध्य सीमा तक कटाण रास्ता से रास्ता उपलब्ध कराने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। पेशी दिनांक 20.9.2018 को अप्रार्थी सं. 1 की ओर से वकील श्री अनुपसिंह राठौड़ ने वकालतनामा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी 2 बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी * नोखा (बीकानेर) *

10/10

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

लगातार 2

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 207/2018

इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पेशी दिनांक 19.12.2018 को प्रार्थी की ओर से प्रार्थीना पत्र आदेश 1 नियम 10 पेश किया। पेशी दिनांक 31.1.2019 प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दिवासी स्वीकार किया जाकर स्टेट का अप्रार्थी सं.3 संयोजित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। पेशी दिनांक 4.10.2019 को अप्रार्थी सं. 1 मोहनराम की ओर से जवाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थीगण को दिलाई गई। स्टेट की ओर जवाब / रिपेार्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई। आज दिनांक 10.10.2019 को प्रकरण में बहस समाअत की गई। वकील प्रार्थी ने तहसीलदार नोखा की रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया।

आदेश

हमने पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व मौका रिपोर्ट आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन/अध्ययन, बहस के तर्को पर मनन किया जिससे प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 "ए" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार योग्य पाया जाने पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 "ए" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीगण को अपने खेत वाके रोही सलुण्डिया के खसरा नम्बर 1877/716 व 715 में आवागमन के लिए रास्ते हेतु खेत खसरा नम्बर 1878/716 की पूर्वी सीमा पर 120 X 6 = 720 मीटर रास्ता तहसीलदार नोखा की रिपोर्ट के सलंग्न नजरी नक्शे लाल स्याही से दर्शाये अनुसार तथा प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1875/443 में आवागमन के लिए रास्ते हेतु खेत खसरा नम्बर 1876/443 की पश्चिमी सीमा पर 150 X 6 = 900 मीटर रास्ता तहसीलदार नोखा की रिपोर्ट के सलंग्न नजरी नक्शे लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। अर्थात 720वर्गमीटर एवं 900 वर्गमीटर कुल 1620 वर्गमीटर (0.162 हैक्टेयर) भूमि की डी.एल.सी. दर से दुगनी राशि का डी.डी. तहसील कार्यालय नोखा में प्रार्थीगण जमा करावें। तहसीलदार नोखा संबंधित अप्रार्थीगण सं. 1 ता 2 को डीएलसी की दर से दुगनी राशि का जरिये डीडी से भुगतान करने के बाद राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम करें। इन आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार (राजस्व) को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 10.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

10.10.19

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी,
नोखा

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी नोखा (बीकानेर)

Scanned by CamScanner